

केंद्रीय हिंदी निदेशालय
शिक्षा मंत्रालय
पत्राचार माध्यम से सिविल सेवा हिंदी पाठ्यक्रम
प्रवेश सूचना- 2026
सिविल सेवा हिंदी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन

यह निःशुल्क पाठ्यक्रम विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों के उन अभ्यर्थियों के लिए है, जिनकी मातृभाषा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है तथा जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी को अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में लेना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.chd.education.gov.in पर लॉग इन करें।



केंद्रीय हिंदी निदेशालय
सिविल सेवा हिंदी पाठ्यक्रम
आवेदन प्रपत्र - 2026

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में अनिवार्य प्रश्न-पत्र के रूप में हिंदी भाषा का चयन करने वाले उत्तर-पूर्वी राज्यों के अभ्यर्थी, जिनकी मातृभाषा संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है, के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय पत्राचार द्वारा सिविल सेवा हिंदी पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। पाठ्यक्रम पूर्णतः निशुल्क है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31.01.2026 है।

अधिक जानकारी के लिए ccchdadmission@gmail.com पर मेल भेजें।

- पाठ्यक्रम का नाम **सिविल सेवा हिंदी पाठ्यक्रम**
- अभ्यर्थी का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में) श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री.....
- श्रेणी/वर्ग सामान्य अनु.जाति अ.ज.जा. पिछड़ावर्ग दिव्यांग
- पिता का नाम
- जन्म तिथि दिन महीना वर्ष
- उत्तीर्ण स्नातक परीक्षा
(विश्वविद्यालय का नाम विषय सहित)
.....
.....
- राष्ट्रियता
- मातृभाषा
- राज्य
- लिंग पुरुष स्त्री अन्य

11. संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने का वर्ष

12. डाक पता, पिनकोड सहित (स्पष्ट अक्षरों में)

13. आवेदक का मोबाईल नं. और ई-मेल आई.डी.

मैं यह घोषित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है और मैं निदेशालय के सभी नियमों एवं निदेशों का पालन करूँगा / करूँगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में)

दिनांक.....

आवेदन पत्र इस पते पर भेजे:-

उपनिदेशक,
पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शिक्षा मंत्रालय
पश्चिमी खण्ड -7, आर.के.पुरम
नई दिल्ली - 110066

नोट:-

1. प्रवेश आवेदन पत्र की प्राप्ति पर निर्भर है।
2. उक्त पाठ्यक्रम को चलाने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा किसी अन्य संस्थान / संगठन / व्यक्ति को प्राधिकृत नहीं किया गया है।
3. किसी भी दशा में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और ना ही इस संदर्भ में कोई पत्राचार स्वीकार्य होगा।